न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द

(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार म्योल,आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 92 / 2019
दायर दिनांक :– 05 / 12 / 2019
निर्णय दिनांक :– 21 / 08 / 2025

अनवान्

1. मांगीलाल उर्फ मांगू पिता कजोड गाडरी निवासी मालीखेडा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द मृतक के बजाय

1/1 विक्रम पिता मांगीलाल गाडरी निवासी मालीखेडा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

1/2 विशाखा पुत्री मांगीलाल पत्नि नन्दलाल गाडरी निवासी मालीखेडा हाल निवासी निमच माता स्कीम, देवाली उदयपुर जिला उदयपुर

1/3 निरज पिता मांगीलाल गाडरी निवासी मालीखेडा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

वादीगण

बनाम

1.राजस्थान राज्य जरिये तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द (राज0)

प्रतिवादीगण

उपस्थित :–
वादी की ओर से –1. श्री शेषमल गाडरी, 2. श्री नवलसिंह राणावत, अधिवक्ता
प्रतिवादी की ओर से – पेरोकार सरकार

दिनांक – 21 / 08 / 2025

वाद बाबत घोषणा व इन्द्राज दुरुस्ती

–:निर्णय:–

वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद बाबत घोषणा व ईन्द्राज दुरुस्ती के प्रस्तुत किया कि ग्राम कुरज पटवार हल्का कुरज तहसील रेलमगरा के संवत 2069 से 2072 के आराजी संख्या 661 नया, पुराणा 1013 में आ.सं. 41 रकबा 106.10 किस्म बीड स्थित हैं। वाद के पैरा संख्या 01 में वर्णित आराजीयात वर्तमान नम्बर है जिनके पुराने साबिक आ.सं. 72/23 रकबा 93.04 भूमि हैं। वाद पत्र के पैरा सं. 02 में वर्णित भूमि में तत्कालीन खातेदार जमानालाल पिता गणेशलाल दशोरा ब्राहम्ण निवासी मालीखेडा का 1/15 वॉ हिस्सा था। उक्त 1/15 में से आधा हिस्सा अर्थात 1/30 वॉ हिस्सा वादी संख्या 01 ने एवं आधा हिस्सा अर्थात् 1/30 वॉ हिस्सा वादी सं. 02 के पिता भूरा गाडरी ने विक्रय पत्र दिनांक 29.01.1964 को क्रय कर कब्जा आधिपत्य प्राप्त किया। इसके 2 अलग अलग बिकाव नामे बजाब्ता स्टाम्प पर इसी दिनांक को

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

केता/वादी सं. 01 एवं वादी सं. 02 के पिता भूरा के नाम पर निष्पादित किये व कब्जा आधिपत्य सुपुर्द किया। इसके पश्चात दोनो केतागण अपनी अपनी कय शुदा भूमि पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं। वादी सं. 02 के पिता का देहान्त हो चूका है और उनके पिछे वादी सं.02 अकेला वारीसान होने से उनके हिस्से पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा हैं। उक्त बिकाव नाम के जरिये भूमि कय करने के पश्चात वादी सं. 01 एवं वादी सं. 02 के पिता ने बिकाव नामे के अनुसार भूमि के राजस्व रेकार्ड में अपने नाम नामान्तरकरण खुलवा कर भूमि को राजस्व रेकार्ड में अपने नाम दर्ज कराया व भूमि पर सअधिकार पूर्वक काबिज होकर उपयोग उपभोग करने लगे। जिसका इन्द्राज भू प्रबन्ध सेटलमेंट विभाग उदयपुर की फर्द इक्तलाफ इन्द्राज खसरा, खसरा परिशोधन पत्र में भी अंकन हैं। इसके पश्चात कालान्तर में सेटलमेंट व राजस्व कर्मचारियों की गलती से राजस्व रेकार्ड से वादी सं. एक नाम हटा दिया गया व वादी सं. 02 के पिता का नाम वादी सं. 02 के दादाजी के साथ ही अंकित कर दिया जबकि होना यह चाहिए था कि उक्त आराजीयात में वादी सं. 01 का 1/30 वॉ हिस्सा, वादी सं. 02 के पिता का 1/30 हिस्सा दर्ज होना चाहिए एवं वादी सं. 01 के पिता व वादी सं. 02 के दादाजी कजोड का पृथक से 13/400 हिस्सा अंकित होना चाहिए था। इस प्रकार वादीगण का उक्त आराजीयात में क्रमशः 1/30, 1/30 हिस्सा है और इसी अनुसार काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे हैं। वादग्रस्त आराजीयात वादग्रस्त आराजीयात के राजस्व रेकार्ड में राजस्व कर्मचारियों की गलती से व सहवन से उपरोक्त हिस्सा वादी सं. 01 व वादी सं. 02 के पिता का नाम दर्ज नही किया गया हैं व वादी 02 के पिता का नाम उनके पिता के साथ अन्य हिस्सा में जोड दिया गया जबकि भू प्रबन्ध सेटलमेंट के खसरा परिसोधन पत्र में इनका नाम दर्ज हैं। अतः न्यायहित में खसरा परिसोधन पत्र के अनुसार उक्त वादग्रस्त भूमि का वादीगण को क्रमशः 1/30, 1/30, हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर इसी अनुसार भूमि राजस्व रेकार्ड में इनके नाम दर्ज किया जाना आवश्यक है जिसके लिए यह वाद पत्र प्रस्तुत किया जा रहा हैं। उक्त त्रूटि राजस्व कर्तचारियों की गलती की वजह से हूई है व प्रतिवादी सं. 01 के पिता स्वर्गीय भूरा का नाम कजोड के साथ सहवन से जोड दिया गया है व कुलिया रकबा 13/800 राजस्व रेकार्ड में वादी सं. 02 के पिता का नाम वादी सं. 02 के दादाजी के साथ गलत रुप से इन्द्राज कर दिया जबकि वादी सं. 01 के पिता व वादी सं. 02 के दादा कजोड का उक्त भूमि में 13/400 हिस्सा अंकित होना चाहिए था व वादीगण का अलग से 1/30 वॉ हिस्सा 1/30 वॉ दर्ज होना चाहिए और इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन किया जाना आवश्यक है जिसके लिए भी यह वाद पेश है। वादीगण को उक्त त्रूटि की जानकारी होने के बाद वादीगण ने कई बार

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

प्रतिवादी के यहा लिखित में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर त्रूटि को सुधारने का निवेदन किया गया लेकिन प्रतिवादी द्वारा कोई सुधार नही किया गया हैं। अन्तिम मर्तबा दिनांक 30.08.2015 को जबकि वादीगण ने प्रतिवादी से उक्त त्रूटि को सुधारने का निवेदन किया लेकिन उनके ,ारा सुधार करने से इन्कार करते हुए सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने का कहने से उत्पन्न होकर जारी हैं। प्रतिवादी भूमिधारी होकर आवश्यक पक्षकार होने से उन्हें भी प्रतिवादी पक्षकार बनाया हैं। प्रतिवादी राज्य सरकार है और इनके विरुद्व वाद पेश करने से पूर्व धारा 80 सी पी सी के तहत 02 माह की अवधि का नोटिस दिया जाना आवश्यक हैं लेकिन उक्त वाद आवश्यक प्रकृति का है अतः बिना नोटिस दिये ही वाद प्रस्तुत किया जा रहा है व अनुमति हेतु अलग से धारा 80 (2) जाब्ता दीवानी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हैं। **अतः प्रार्थना है कि** वादीगण का वाद विरुद्व प्रतिवादी स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजीयात जिसका पूरा विवरण वाद के पैरा सं. 01 में वर्णित किया गया हैं उसका वादीगण को कमशः 1/30, 1/30 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जाकर इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन कराया जावे एवं इस हेतु वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरुद्व घोषणा एवं अंकन हेतु डिक्री पारित फरमाई जावें। राजस्व रेकार्ड में गलती से वादी संख्या 02 के पिता का नाम उनके दादाजी कजोड के साथ दर्ज हो गया है जहॉ से वादी सं. 02 के पिता का नाम विलोपित किया जाकर वादग्रस्त आराजीयात का 13/800 की बजाय 13/400 हिस्सा वादी सं. 01 के पिता व वादी सं. 02 के दादाजी कजोड के नाम दर्ज किया जावे व वादीगण के नाम पर अलग से 1/30, 1/30 हिस्सा अलग से दर्ज कराया जाकर राजस्व रेकार्ड में इसी अनुसार अंकन कराये जाने हेतु वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरुद्व डिक्री पारित फरमाई जावे।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी पेरोकार सरकार ने अपना जवाब प्रस्तुत किया गया कि 01 व 02 राजस्व रिकार्ड अनुसार सही है। बिन्दु सख्या 03, 04, 05 वादीया स्वंय साबित करें। बिन्दु सख्या 06 व 07 राजस्व रिकार्ड एवं विकय पत्र अनुसार परिशोधन किया जाना उचित है। बिन्दु सख्या 08 वादीगण द्वारा ऐसा कोई प्रार्थना पत्र पत्रावली पर प्रस्तुत नही किया और न ही उसकी कोई प्रति पत्रावली पर उपलब्ध है न ही प्रतिवादी द्वारा इनकार किया गया। बिन्दु सख्या 09, 10, 11 कानुन है। अतः वादीगण अपने वाद को स्वंय साबित करावे तथा प्रतिवादी को कोई आपत्ति नहीं है।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

वादीगण के वादपत्र एवं प्रतिवादी के जवाब दावें अनुसार निम्न तनकिया विरचित की गयी :–

1. आया वादपत्र की कलम संख्या 01 मे वर्णित भूमियों में वादीगण 1/30, 1/30 हिस्से के खातेदार कास्तकार घोषित कराने के अधिकारी हैं।

—जिम्में वादी

2. आया वादग्रस्त आराजीयात में राजस्व कर्मचारियों की गलती से राजस्व रेकार्ड में वादी संख्या 01 का नाम विलोपित कर दिया व वादी संख्या 02 के पिता के नाम के साथ वादी संख्या 02 के दादाजी के साथ अंकित कर दिया कुलिया 13/800 अंकित कर दिया जबकि 13/400 हिस्सा होना चाहिये था।

—जिम्में वादी

वादीगण ने अपने वादपत्र के समर्थन में गवाह पीडब्ल्यू–01 उदयराम गाडरी का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर मुख्य परीक्षण पुर्ण हुआ एवं दस्तावेजी साक्ष्य जमाबन्दी की नकल प्रदर्श–01, रजिस्ट्री असल प्रदर्श–02 जिसकी छाया प्रति प्रदर्श–02ए, सेटलमेन्ट जमाबन्दी संवत् 2029–2030 की नकल प्रदर्श–03 व 04 तथा फर्द इख्तलाफ इन्द्राज खसरा की नकल प्रदर्श–05 के प्रस्तुत किये गये। प्रतिवादी साक्ष्य प्रस्तुत नही करना चाहते है।

उभय पक्ष को सुना गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया। प्रकरण में तनकीवार निर्णय निम्नानुसार है :–

1. तनकी संख्या 01 जिम्में वादीगण होकर वादीगण ने अपनी उक्त तनकी के समर्थन में गवाह पीडब्ल्यू–01 उदयराम गाडरी का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर मुख्य परीक्षण पुर्ण हुआ एवं दस्तावेजी साक्ष्य जमाबन्दी की नकल प्रदर्श–01, रजिस्ट्री असल प्रदर्श–02 जिसकी छाया प्रति प्रदर्श–02ए, सेटलमेन्ट जमाबन्दी संवत् 2029–2030 की नकल प्रदर्श–03 व 04 तथा फर्द इख्तलाफ इन्द्राज खसरा की नकल प्रदर्श–05 के प्रस्तुत किये गये। जिनका अवलोकन किया गया तो जाहिर आया कि वादग्रस्त भूमियों में वादीगण 1/30, 1/30 हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित कराने के अधिकारी है। जो वादीगण द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के जरिये अपने वादपत्र को सिद्व किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त तनकी वादीगण के पक्ष में सिद्व की जाती है।
2. तनकी संख्या 02 जिम्में वादीगणं होकर तनकी संख्या 01 अनुसार प्रस्तुत दस्तोवजी साक्ष्य से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजीयात में सहवन से राजस्व रेकार्ड में वादी संख्या 01 का नाम विलोपित कर दिया व वादी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड ... रेलमगरा

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

संख्या 02 के पिता के नाम के साथ वादी संख्या 02 के दादाजी के साथ अंकित कर दिया कुलिया 13/800 अंकित कर दिया जबकि 13/400 हिस्सा होना चाहिये। जो वादीगण द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के जरिये अपने वादपत्र को सिद्व किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त तनकी भी वादीगण के पक्ष में सिद्व की जाती है।

: : आदेश : :

अतः तनकीवार विवचेन के आधार पर वादीगण दस्तावेजी साक्ष्य के जरिये अपने वादपत्र को सिद्व कराने में सफल रहने से वादीगण का वाद घोषणा व ईन्द्राज दुरुस्ती का स्वीकार किया जाकर ग्राम कुरज पटवार हल्का कुरज तहसील रेलमगरा के संवत 2069 से 2072 की आराजी संख्या 41 रकबा 106.10 किस्म बीड में ईन्द्राज को दुरूस्त किया जाकर वादीगण को क्रमशः 1/30, 1/30 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाने के एवं राजस्व रेकार्ड में गलती से वादी संख्या 02 के पिता का नाम उनके दादाजी कजोड के साथ दर्ज हो गया है जहॉ से वादी सं. 02 के पिता का नाम विलोपित किया जाकर वादग्रस्त आराजीयात का 13/800 की बजाय 13/400 हिस्सा वादी सं. 01 के पिता व वादी सं. 02 के दादाजी कजोड के नाम दर्ज किया जाकर वादीगण के नाम पर अलग से 1/30, 1/30 हिस्सा अलग से दर्ज किया जाने के आदेश दिये जाते है। राजस्व रेकार्ड में इसी अनुसार अंकन किया जावें। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा कायम हो। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 21/08/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायायल में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा

(राकेश कुमार न्योल)
सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

मूलवाद मे डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द

(पीठासीन अधिकारी :— राकेश कुमार न्योल, आर०ए०एस०)

राजस्व वाद संख्या :— 92/2019

वादीगणपक्ष—

1. मांगीलाल उर्फ मांगू पिता कजोड गाडरी निवासी मालीखेडा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द मृतक के बजाय

1/1 विक्रम पिता मांगीलाल गाडरी निवासी मालीखेडा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

1/2 विशाखा पुत्री मांगीलाल पत्नि नन्दलाल गाडरी निवासी मालीखेडा हाल निवासी निमच माता स्कीम, देवाली उदयपुर जिला उदयपुर

1/3 निरज पिता मांगीलाल गाडरी निवासी मालीखेडा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

प्रतिवादीगण पक्ष—

1. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार रेलमगरा जिला राजसमन्द

दावा :— वाद बाबत् घोषणा एवं ईन्द्राज दुरूस्ती

उपस्थित —
वादीगण की ओर से — श्री शेषमल गाडरी व नवलसिंह राणावत, अधिवक्ता
प्रतिवादीगण की ओर से — पेरोकार सरकार

में इस आशय मे दिनांक 21/08/2025 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि तनकीवार विवचेन के आधार पर वादीगण दस्तावेजी साक्ष्य के जरिये अपने वादपत्र को सिद्व कराने में सफल रहने से वादीगण का वाद घोषणा व ईन्द्राज दुरुस्ती का स्वीकार किया जाकर ग्राम कुरज पटवार हल्का कुरज तहसील रेलमगरा के संवत 2069 से 2072 की आराजी संख्या 41 रकबा 106.10 किस्म बीड में ईन्द्राज को दुरूस्त किया जाकर वादीगण को क्रमशः 1/30, 1/30 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाने के एवं राजस्व रेकार्ड में गलती से वादी संख्या 02 के पिता का नाम उनके दादाजी कजोड के साथ दर्ज हो गया है जहॉ से वादी सं. 02 के पिता का नाम विलोपित किया जाकर वादग्रस्त आराजीयात का 13/800 की बजाय 13/400 हिस्सा वादी सं. 01 के पिता व वादी सं. 02 के दादाजी कजोड के नाम दर्ज किया जाकर वादीगण के नाम पर अलग से 1/30, 1/30 हिस्सा अलग से दर्ज किया जाने के आदेश दिये जाते है। राजस्व रेकार्ड में इसी अनुसार अंकन किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

आज दिनांक 21/08/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

(राकेश कुमार न्योल)
सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा